ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. No.- 90-92

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- IV, Issues-26, YEAR- Oct.-Dec.-2022

पिछड़ें/जाति के मुसलमानों की समस्याएँ तथा राजनीतिक कार्यक्रम में सहभागिता (एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

जश्न परवेज

शोध अध्येत्री– पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना, बनतारा, देवकुंड, औरंगाबाद (बिहार) भारत

Received-12.10.2022, Revised-18.10.2022, Accepted-23.10.2022 E-mail: akbar786ali888@gmail.com

सारांशः ***भारत में मुसलमानों की आबादी कुल आबादी का 15.4 प्रतिशत है। उच्च एवं सरकारी पदों पर 6 प्रतिशत मुस्लिम हैं। 14 राज्यों में सबसे अधिक मुस्लिम समुदाय है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में 4790 अधिकारी हैं, जिसमें से 108 अर्थात 2.2 प्रतिशत मुस्लिम है। भारतीय पुलिस सेवा में 3209 में से 109 मुस्लिम है। विभिन्न राज्यों में मुस्लिम कैदियों की संख्या 30 से 40 प्रतिशत है। मुस्लिम समुदाय के समक्ष निम्नलिखित समस्यायें हैं।***

कुंजीभूत शब्द–मुस्लिम समुदाय, भारतीय प्रशासनिक, साम्प्रदायिक तनाव,स्वतंत्र भारत, साम्प्रदायिक आधार, राजनीतिक दल।

(1) मुस्लिम समुदाय के समक्ष पहली समस्या यह है कि भारत सरकार के नियंत्रण की विभिन्न सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। भारतीय संविधान में बिना किसी भेदभाव को सबको समान अवसर प्रदान करने की व्यवस्था होने के उपरान्त भी सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की नियुक्तियां कम है। साथ ही साथ लोकसभा एवं विधान सभाओं में भी उनका प्रतिनिधित्व कम है। मुसलमान समुदाय राजनैतिक दलों द्वारा शोषित किये जाते हैं।

(2) मुस्लिम समुदाय की दूसरी समस्या समय–समय पर घटित होने वाले साम्प्रदायिक तनाव एवं दंगे हैं। स्वतंत्र भारत में इस बुराई को दूर करने का पर्याप्त प्रयास हुआ है, तथापि साम्प्रदायिक आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण के परिणामस्वरूप सामप्रदायिक तनावों का कम होना संभव नहीं हुआ है। इसका मूल कारण हिन्दू और मुस्लिमों की परस्पर विरोधी मनोवृत्ति है।

(3) मुसलमानों की समस्याओं में वैयक्तिक कानून की एक प्रमुख समस्या है। इसी वैयक्तिक कानून के परिणामस्वरूप भारत की सामप्रदायिक राजनीति में एक विचित्र मोड़ प्राप्त किया है। भारत सरकार द्वारा समरूप सिविल कोड के निर्माण पर विवाद, तलाक, अभिग्रहण, संरक्षण एवं बच्चों की अभिरक्षा, उत्तराधिकार एवं अनुक्रमण आदि में समरूपता लाने के सहयोग प्राप्त होगा। परन्तु भारत के अधिकांश मुसलमानों ने सिविल कोड का विराध इस तर्क के साथ किया कि मुसलमानों का वैयक्तिक कानून कुरान एवं सुन्नत पर आधारित है। अतः वैयक्तिक कानून में किया गया किसी प्रकार का परिवर्तन उनके मौलिक अधिकार को प्रभावित करेगा।

(4) मुस्लिम समुदाय की एक प्रमुख समस्या उर्दू से जुड़ी है। यद्यपि उर्दू मुसलमनों की एकमात्र भाषा नहीं है, तथापि उनका मान्ना है कि उर्दू का अपहरण उनकी सामाजिक, सांस्तिक आत्मीयता एवं आध्यात्मिक विरासत को अपदस्थ कर सकता है। अधिक संख्या वाले राज्यों में समय–समय पर उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने की मांग की जाती रही है।

पिछड़े जाति के मुसलमानों में राजनीतिक सहभागिता की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मुसलमानों द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रमों में भागीदारी पर विचार करना आवश्यक है। राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेना बढ़ती राजनीतिक चेतना का सूचक है। सार्वजनिक प्रकार के राजनीतिक कार्यक्रमों में जनसभायें, हड़ताल, जुलुस आदि प्रमुख है। प्रायः यह देखा गया है कि वे उन्हीं राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हैं जिनसे वे किसी न किसी स्तर से सम्बद्ध होते हैं। अपनी पसन्द के राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में हिस्सा लेनेकी सम्भावना कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में देखी जाती है। आमतौर पर किसी दल द्वारा सम्बन्धित लोगों के हित में ये आयोजित कार्यक्रम अधिक आकर्षण के कारण होते हैं। अतः प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य पिछड़े जाति के मुसलमानोंकी समस्याओं तथा राजनीतिक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी को ज्ञात करना है।

उपकल्पनायें– शोधकर्ती ने प्रस्तुत अध्ययन समस्या का विवेचन करने के लिए निम्नलिखित उपकल्पनायें निर्मित की है:–

(1) पिछड़े जाति के मुसलमान जनसभायें में हिस्सा लेते हैं।

(2) पिछड़े जाति के मुसलमान जुलुस, हड़ताल में भाग लेते हैं।

अध्ययन क्षेत्र– प्रस्तुत अध्ययन के लिए औरंगाबाद जिला के गोह प्रखंड का चयन किया गया है। गोह प्रखंड में अनेक पंचायत है। अध्ययन की सुविधा के लिए बनतारा ग्राम पंचायत का चयन किया गया है।

अध्ययन की प्रविधि– शोधकर्ती ने बनतारा प्रखंड के पिछड़ें जाति के मुसलमानों से अध्ययन समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण किया।

निदर्शन– शोधकर्ती ने बनतारा ग्राम पंचायत से 50 पिछड़ें जाति के मुसलमानों का चयन सुविधाजनक निदर्शन प्रणाली

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- IV, Issues-26, YEAR- Oct.-Dec.-2022

के द्वारा किया गया है।

आँकड़ों का संकलन, वर्गीकरण एवं सारणीयन तथा विश्लेषण।

शोधकर्ती ने पिछड़े जाति के 50 मुस्लिम उत्तरदाताओं से जो तथ्य प्राप्त किया, उसे उसने तथ्यों की प्रति के आधार पर सारणीयन के माध्यम से वर्गीकरण किया तथा वर्गीकृत तथ्यों का विश्लेषण किया।

निष्कर्ष एवं परिणाम– शोधकर्ती को अध्ययन के क्रम में एकत्रित तथ्यों के आधार पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। आयु के आधार पर तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 12.50 प्रतिशत तथा 12.50 प्रतिशत पिछड़े जाति के मुस्लिम उत्तरदाताओं की आयु क्रमशः 20 से 30 वर्ष, 31–40 वर्ष 41–50 वर्ष तथा 51 वर्ष से अधिक है।

उत्तरदाताओं की लैंगिक स्थिति के आधार पर तथ्यों के अध्ययन से निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि 88 प्रतिशत उत्तरदाता पुरूष है तथा 12 प्रतिशत उत्तरदाता महिला हैं। वैवाहिक स्थिति के आधार पर तथ्यों के अध्ययन से निष्कर्ष निकाला कि 37. 50 प्रतिशत उत्तरदाता विवाहित, 50 प्रतिशत अविवाहित तथा 12.50 प्रतिशत विधवा/विधुर हैं।

जाति के आधार पर पिछड़े जाति के मुस्लिम उत्तरदाताओं के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि 70 प्रतिशत उत्तरदाता अंसारी जाति के 10 प्रतिशत कल्हैया जाति के, 12 प्रतिशत भुकेरी जाति के 04 प्रतिशत शेरशाहवादी जाति के तथा 4 प्रतिशत राइन जाति के उत्तरदाता हैं। शैक्षिक स्थिति के आधार पर उत्तरदाताओं के अध्ययन से निष्कर्ष निकाला कि 40 प्रतिशत उत्तरदाता अशिक्षित, 20 प्रतिशत साक्षर, 15 प्रतिशत मैट्रिक, 15 प्रतिशत इण्टरमीडिएट तथा 10 प्रतिशत उत्तरदाता स्नातक हैं। पारिवारिक स्थिति के आधार पर तथ्यों से विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं का परिवार एकांकी तथा 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं का परिवार संयुक्त है।

व्यवसाय के आधार पर जो तथ्य प्राप्त हुए उससे ज्ञात होता है कि 60 प्रतिशत उत्तरदाता निजी व्यवसायों में संलग्न हैं। 8 प्रतिशत नौकरी करते हैं। 12.5 प्रतिशत कृषि तथा 19.5 प्रतिशत उत्तरदाता अपने परम्परागत कार्यों में संलग्न हैं। उत्तदाताओं से यह प्रश्न पूछे जाने पर कि क्या आप किसी राजनैतिक दल से प्रभावित हैं। उत्तरदाताओं द्वारा जो तथ्य प्राप्त हुए हैं, उसके अनुसार 98 प्रतिशत उत्तरदाता किसी न किसी राजनैतिक दल से प्रभावित हैं। तथा केवल 02 प्रभावित उत्तरदाता राजनैतिक दल से प्रभावित नहीं हैं।

उत्तरदाताओं से यह ज्ञात किया गया कि क्या आपके हितैषी राजनीतिक दल आपके हितो की रक्षा करते हैं। उत्तरदाताओं से यह ज्ञात हुआ कि 60 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि उनके हितैषी राजनैतिक दल उनके हितो की रक्षा करते हैं तथा 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नकारात्मक उत्तर दिया।

उत्तरदाताओं से यह प्रश्न पूछने पर कि क्या आप राजनैतिक कार्यक्रमों में भाग लिया है। उत्तरदाताओं से प्राप्त तथ्यों से ज्ञात होता है कि 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने राजनैतिक कार्यक्रमों में भाग लिया है तथा 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग नहीं लिया है।

जिन उत्तरदाताओं ने यह मत प्रकट किया कि उसने राजनैतिक कार्यक्रमों में भाग नहीं लिया है। तो उनसे भाग नहीं लेने के कारणों को ज्ञात किया गया, जिसके अनुसार इन उत्तरदाताओं अर्थात 80 उत्तरदाताओं में से 60 उत्तरदाताओं ने कहा कि अपने कार्यों में व्यस्तता के कारण राजनैतिक कार्यक्रमों में भाग नहीं लिया है। 20 उत्तरदाताओं ने कहा कि राजनैतिक कार्यक्रमों में भाग लेना बेकार है, क्योंकि उससे काई लाभ नहीं मिलता है।

उत्तरदाताओं से यह प्रश्न पूछने पर कि क्या आप किसी राजनैतिक दल में किसी पद पर आसीन हैं? उत्तरदाताओं से प्राप्त तथ्यों से निष्कर्ष निकलता है। कि केवल 15 प्रतिशत उत्तदाता किसी राजनैतिक दल में किसी पद पर आसीन हैं, तथा 85 प्रतिशत उत्तरदाता किसी भी प्रकार के राजनैतिक पद से बंचित हैं। क्या आप नेताओं के भाषण सुनते हैं? उत्तरदाताओं से प्राप्त तथ्यों से निष्कर्ष निकलता है कि 55 प्रतिशत उत्तरदाता नेताओं के भाषण सुनने जाते हैं तथा 45 प्रतिशत उत्तरदाताओं से इसमें कोई दिलचस्पी नहीं हैं। आप किस प्रकार के राजनीतिक कायक्रमों में कितने बार भाग लिए हैं? उत्तरदाताओं से प्राप्त तथ्यों से निष्कर्ष निकलता है कि 28 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आम सभा में 10 बार से अधिक भाग लिया है। 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे हड़ताल में लगभग 18 से अधिक बार भाग लिया है। 6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने जुलुस कार्यक्रमों में 14 से अधिक बार भाग लिया है।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि पिछड़े मुसलमानों में अशिक्षा तथा निर्धन्ता अधिक है, फिर भी वे राजनीति से लगाव रखते हैं तथा जिस दिल को अपना हितैषी समझते हैं, उनका समर्थन करते हैं। यह सत्य है कि पिछड़ें मुसलमानों में राजनीतिक चेतना आयी है। आरक्षण ने उन्हें विशेष रूप से प्रभावित किया है। यही कारण है कि वे अपनी माँगों को लेकर प्रयत्नशील है तथा माँगों की पूर्ति के लिए दबाब समूह के रूप में कार्य करते हैं।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- IV, Issues-26, YEAR- Oct.-Dec.-2022

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. वासुकी एवं नाथ चौधरी :– आज का भारत समाज : राजनीति और युवराज कुमार, आरिचंट ब्लैकस्वॉन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
2. कोठारी, रजनीः कास्ट इन इण्डियन पोलिटिक्स , देलही ओरिएन्ट लागमैन लिमिटेड, 1970.
3. आइजनस्टड, एस० एन०, सम्पा० : पोलिटिकल सोशियोलाजी, बेसिक बुक्स इन्क० न्यूयार्क, 1971.
4. मजूमदारः कास्ट एणु कम्युनिकेसन्स इण्डियन विलेज, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बाम्बे, 1958.
5. दूबे, एस० सी० : धर्म निरपेक्षता और भारतीय प्रजातंत्र, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, न्यू देलही 1991.
6. चौहान, एस० के० : कास्ट स्टेट्स एण्ड पावर, क्लासिक पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली,
7. सेनार्ट, ई० : "कास्ट इन इंडिया फैक्टस ऑफ द सिस्टम", लंदन 1930.
8. धमवीर : राजनीतिक समाजशास्त्र, राजस्थान हिन्दी अकादमी, जयपुर, 2001.
9. कोठारी, रजनी : भारत में राजनीति, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2007.
10. डॉ० रंजु कुमारी : आधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक चिन्तन का विकास, जानकी प्रकाशन, अशोक राज पथ पटना, 2011.

*****